

**1[प्ररूप सं. 10खखग**

[नियम 2घख देखें]

**भाग - 1**

**अधिसूचित पेंशन निधि द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में लेखाकार का प्रमाणपत्र**

मैं/हम संपुष्ट करते हैं कि (पेंशन निधि का नाम) ..... जिसकी पैन सं. .... है, के सुसंगत लेखाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों की संपरीक्षा की गई है और जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन अधिसूचना संख्यांक ..... तारीख ..... (ता.....मा.....वर्ष.....) द्वारा .....(ता.....मा.....वर्ष.....) से ... (ता.....मा.....वर्ष.....) तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है और संपरीक्षा के पश्चात्, भाग 2 में उपलब्ध विशिष्टियां प्रमाणित की जाती हैं।

**भाग II**

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैन/आधार सं. :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय
5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम (सारणी के स्तंभ 11 की मद सं. 6 पर ब्यौरों के अनुसार) :
6. (क) ऐसे किए गए विनिधान का आरंभिक अतिशेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंतिम अतिशेष) जो धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए पात्र है:
- (ख) पूर्व वर्ष के दौरान पेंशन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौर:

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम (रूपए में)	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3) \$	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रूपए में)	उस आस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया				आय की रकम जो धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए पात्र है (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पत्र संलग्न करें)
						अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5)^	नाम	पैन	यदि अस्तित्व की प्रकृति का कोड 3/4/5 है, तो क्या अस्तित्व ने धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ग) या मद (घ) या मद (ङ) में यथाअपेक्षित 50 या 75 या 90 प्रतिशत का न्यूनतम विनिधान किया है (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पत्र संलग्न करें)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
कुल										

7. \* (क) उस तारीख से जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, तीन वर्ष के अवसान के पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 10के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय किया है (हां/नहीं)।

(ख) यदि (क) का उत्तर हां है, तो उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3) \$	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया			विक्रय की तारीख
					अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5)	नाम	पैन्	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
कुल								

8. पेंशन निधि, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्:-

(क)	उस विधि का नाम जिसके अधीन पेंशन निधि सृजित या स्थापित है।	
(ख)	उन विधियों या योजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए पेंशन निधि, आस्तियों का प्रशासन करने या विनिधान करने के लिए जिम्मेवार है:	
	निधि/योजना का नाम	प्रयोजन जिसके लिए योजना या निधि स्थापित है (टिप्पण 6) \$\$
		निधि/योजना की प्रकृति (टिप्पण 7)##
		पेंशन निधि द्वारा विनिधान की गई या प्रशासित आस्तियों के कुल मूल्य का, प्रत्येक योजना/निधि से प्राप्त हुई आस्तियों के मूल्य का प्रतिशत
(ग)	यदि पेंशन निधि द्वारा प्रशासित या विनिधान की गई विधियों/योजनाओं में से कुछ विधियां/योजनाएं एसडब्ल्यूएफ प्रकृति की हैं तो क्या वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं: (i) इन विधियों/योजनाओं की आस्तियां प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्षतः, पूर्णतया बाहरी देश की सरकार के स्वामित्व में हैं; और (ii) ऐसी आस्तियां, ऐसे बाहरी देश की सरकार के विघटन पर सरकार में निहित हैं	हां/नहीं
(घ)	क्या पेंशन निधि के उपार्जन या आस्तियों का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाता है (कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने या नियम 2घख के खंड (ii) में निर्दिष्ट विधियों या योजनाओं के भागीदारों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अभिदायों से भिन्न; या ऋण या उधारियों के लिए [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किए गए किसी संदाय के लिए;)	हां/नहीं
(ङ)	यदि (घ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: i. ऐसी निजी व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए फायदे की रकम	
(च)	क्या यह किसी विनिधान प्राप्तकर्ता की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भागीदारी करता है, धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित, विनिधान प्राप्तकर्ता के साथ विनिधान को संरक्षित करने के किसी मॉनीटरी तंत्र को विवर्जित करते हुए, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है:	हां/नहीं

(छ)	यदि (च) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: i. ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता का नाम ii. विनिधान प्राप्तकर्ता का पैर iii. वर्ष के अंत में ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता में विनिधान की रकम	
(ज)	क्या ये भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित ऋण या उधारियां हैं:	हां/नहीं
(झ)	यदि (ज) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: i. ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे ऋण उधारियां ली गई हैं ii. वर्ष के आरंभ में ऋण या उधारियों की रकम iii. वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधारियों की रकम iv. वर्ष के दौरान पुनःसंदत्त ऋण या उधारियों की रकम v. वर्ष के अंत में ऋण या उधारियों की रकम	
(ञ)	क्या ऐसे विनिधान के संबंध में आय और विनिधान के लिए पृथक विभाजित लेखा रखा जाता है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित है।	हां/नहीं
(ट)	क्या यह ऐसे बाहरी देश में कर के लिए दायी है।	हां/नहीं
(ठ)	यदि (ट) का उत्तर हां है तो क्या उसकी सभी आय के लिए कराधान से ऐसे बाहरी देश द्वारा छूट उपलब्ध कराई गई है;	हां/नहीं
(ड)	ऐसी तिमाही जिसके लिए प्ररुप संख्यांक 10खखख में पूर्व वर्ष के दौरान सूचना फाइल की गई है	टिप्पण 8 देखें***

सत्यापन†

यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रस्तुत की गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है और कोई सुसंगत जानकारी छिपायी या रोकी नहीं गई है।

2. न तो मैं, न ही मेरा भागीदार उपरोक्त उल्लिखित आस्तियों या उसके सहबद्ध उपक्रमों में कोई, निदेशक, या कर्मचारी नहीं है।

3. मैं/हम\*, पूर्णतया यह समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में किया गया कोई कथन यदि असत्य या मिथ्या पाया जाता है, तो विधि में विहित या अन्यथा अपेक्षित किसी दंडिक या अन्य परिणामों के लिए मुझे/हमें\* दायी माना जाएगा।

आज की तारीख \_\_\_\_\_ को सत्यापित

स्थान \_\_\_\_\_

(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

‡लेखाकार \_\_\_\_\_

हस्ताक्षरकर्ता का नाम \_\_\_\_\_

सदस्यता सं. \_\_\_\_\_

टिप्पण:

1. \*जो लागू न हो उसे काट दें।

2. †यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकारी द्वारा दिया जाए।

3. \$किसी एक कोड का चयन किया जाना है: ]

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साम्या	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. #किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूजी अभिलाभ	3
अन्य	4

5. ^ किसी एक कोड का चयन किया जान है:

उस अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ख) कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ग) में अनुकल्पिक विनिधान निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (घ) में घरेलू कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी - एनबीएफसी/अवसंरचना ऋण निधि एनबीएफसी	5

6. \$\$ किसी एक या अधिक कोडों का चयन किया जाना है:

योजना/निधि का प्रयोजन	कोड
सेवानिवृत्ति	1
सामाजिक सुरक्षा	2
नियोजन	3
दिव्यांगता	4
मृत्यु संबंधी प्रसुविधाएं	5
समरूप प्रतिकर (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	6

7. ## किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

योजना/निधि की प्रकृति	कोड
पेंशन निधि	1
संप्रभु धन निधि	2
अन्य	3

8. \*\* किसी एक या अधिक कोडों का चयन किया जाना है:

प्ररूप 10खखख में सूचना	कोड
पूर्व वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही	1
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को सितंबर 30	2
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को दिसंबर 30	3
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को मार्च 30	4]